

क्रमांक: प्र. गाँ. के. म. म. म. म. / 2022 / 19 दिनांक 25/05/2022
 न्यायालय उप उपज अधिकारी एवं पदेन उपायुक्त कलक्टर राजस्थान सरकार
 (पीठासीन अधिकारी लोका अदालत/कोम कोर्ट) के. म. को. लो. ६ के. म. दिनांक 25/05/2022
 मि. नं. 69/2022 आदेश कडली

प्रार्थी के "खाता पुरस्ती" प्रार्थना पत्र पठवारी
 य प्र. अ. नि. को. लो. ६ के. म. की रिपोर्ट तथा राहसीलदार को. लो. ६ के. म.
 नापय तहसीलदार को. लो. ६ के. म. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम महायन्दपुर तहसील को. लो. ६ के. म. य
 जिला जयपुर की जमाबन्दी सख्या 2076-2079 में खाता संख्या 56
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	महायन्दपुर	56	दयाराम पुत्र मांगीलाल कद्रीनारायण पुत्र मांगीलाल काकुलाल पुत्र मांगीलाल	दयाराम चौधरी पुत्र मांगीलाल चौधरी कद्रीनारायण चौधरी पुत्र मांगीलाल चौधरी काकुलाल चौधरी पुत्र मांगीलाल चौधरी

36
 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अदालत काशी
 व्याकरण (लाहौर एजेंसी)
 पदेन साहा. कलक्टर

क्रमांक: प्र. गाँ. के. म. म. म. म. / 2022 / 20-21 दिनांक: 25/05/2022

1. तहसीलदार को. लो. ६ के. म. को. भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री कद्रीनारायण चौधरी पुत्र मांगीलाल को सूचनाएं।
3. रक्षित प्रभावली को. लो. ६ के. म.

36
 पीठासीन अधिकारी
 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अदालत काशी
 व्याकरण (लाहौर एजेंसी)
 पदेन साहा. कलक्टर